

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 5959/12-102 अल्मोड़ा दिनांक 18.05.2016

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो0नि0वि,
सल्ट अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में मनालधुरा से नानककोटा मार्ग के निर्माण हेतु 2.70 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- उत्तराखण्ड शासन के पत्र 958/ X/14-15/ 1 (490)/2015 दिनांक 3-11-2015 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के पत्रांक 1503/एफ0पी0/यू0के0/रोड़/10294/2015 एवं आपकी पत्रांक सं0 1030/32सी दिनांक 30-11-2015 व पत्र सं0 82/32C दिनांक 23-01-2016 एवं आपका पत्रांक 399/32 सी0/दिनांक 09-05-2016

महोदय,

संदर्भित पत्र के क्रम में वर्ष 2016-17 के दरों पर संशोधित कर देय धनराशि पुनः निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

शर्त सं0 -1 क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख रखाव सहित रु0 230302/- प्रति है0 की दर से 1243631/-(बारह लाख तैतालीस हजार छः सौ इकतीस मात्र)जमा करें।

शर्त सं0 -2 के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस पास खाली स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु 3.00 कि0 मी0 वर्तमान दर 345315/-रु0 प्रति कि0 मी0 की दर से रु0 1035936/- दस लाख पैतीस हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) जमा करें।

शर्त सं0 -3 एन.पी.वी. की धनराशि 0.2 घनत्व के अनुसार रु0 1773900/- (सत्रह लाख तिहत्तर हजार नौ सौ मात्र) नोडल अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जमा किया जाय।

भवदीय,
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

पत्रांक 5959/ तददिनांकित

प्रतिलिपि -अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-वन क्षेत्राधिकारी जौरासी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।